

30/11/2014/A.A.O
D.Kaur
5.4.14
(1.50 P.M.)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

(प्ररूप 2 क)

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोकसभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दे
भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोकसभा के निर्वाचन के लिए..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में
निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूँ

अभ्यर्थी का नाम..... पिता/माता/पति का नाम.....

उसका डाक पता..... उसका

नाम..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक

नामावली के भाग सं०..... में क्रमसं०..... पर

प्रविष्ट है।

मेरा नाम..... है जो..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र (में समाविष्ट

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र)

की निर्वाचक नामावली के भाग सं०..... में क्रम सं०..... पर प्रविष्ट है।

तारीख.....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए 12 पूर्णिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित
को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम संजय सिंह

पिता/माता/पति का नाम काशी प्रसाद

उसका डाक पता श्री बाड़ी, दमका, पी०-मोहनकुंडा, धाना-सदर,
जिला-पूर्णिया (बिहार), पिन- 854326

उसका नाम 12, पूर्णिया संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की

निर्वाचक नामावली के भाग 168

संख्यांक 273 में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित है, दर्ज है और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र	निर्वाचक नामावली का	उस भाग में क्रम सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	घटक का नाम	भाग संख्यांक				

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

1.	62, पूर्णिया	168	295	राजन सिंह <i>Rajan Singh</i>	<i>Rajan Singh</i>	05/4/14
2.	62, पूर्णिया	171	80	जुमान <i>Juman</i>	<i>Juman</i>	05/4/14
3.	62, पूर्णिया	116	286	संतोष कुमार <i>Santosh Kumar</i>	<i>Santosh Kumar</i>	05/4/14
4.	62, पूर्णिया	116	728	अनिल कुमार <i>Anil Kumar</i>	<i>Anil Kumar</i>	05/4/14
5.	62, पूर्णिया	168	274	रंजित कुमार सिंह <i>Ranjit Kumar Singh</i>	<i>Ranjit Kumar Singh</i>	05/4/14
6.	62, पूर्णिया	88	25	भारती किशोर कुर्ण <i>Bharti Kishor Kurna</i>	<i>Bharti Kishor Kurna</i>	05/4/14
7.	61, पामधाडा	117	329	अनमोल कुमार <i>Anmol Kumar</i>	<i>Anmol Kumar</i>	5/4/14
8.	62, पूर्णिया	229	338	कर्म लाल विश्वास <i>Karm Lal Vishwas</i>	<i>Karm Lal Vishwas</i>	5/4/14
9.	62 पूर्णिया	91	558	देव कुमार चारावान <i>Dev Kumar Charawan</i>	<i>Dev Kumar</i>	5/4/14
10.	62 पूर्णिया	107	320	शिवन कुमार <i>Shivan Kumar</i>	<i>Shivan Kumar</i>	5/4/14

कृपया ध्यान दें :- प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिए।

अधिसूचना सं० का० आ० 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि-

(क) मैंने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

[नीचे (ख)(i) या (ख)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाए।

या

(ख)(ii) मुझे इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त

राजनैतिक दल है। मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें)

और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान कम में (i) (ii)

(iii) है।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/सहोदर/पत्नी का नाम ऊपर (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोकसभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं** जाति / जनजाति का सदस्य हूँ जो राज्य के उस

राज्य में के (क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित*** जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मुझे लोकसभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में**** नामनिर्देशन नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा।

तारीख 05.04.14

संजय सिंह
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में
में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र * शब्द काट दीजिए।

**यदि लागू न हो तो इसे पैरा को काट दीजिए।

***यदि न होने वाले शब्द काट दीजिए।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में
लागू नहीं होगा।

कृपया ध्यान दें:- 'मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल' से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश,
1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है।

भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी उपराध (अपराधों) के लिए, या

हाँ/नहीं

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है, या

अधिसूचना सं० का० आ० 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के
कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर 'हाँ' में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक

लागू नहीं

(ii) पुलिस थाना

(थाने) हागू नडी जिला (जिले) राज्य

(iii) संबंध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था।

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/तारीखें हागू नडी

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था। हागू नडी

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें हागू नडी

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) हागू नडी

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : हा/नहीं

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां हागू नडी

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे हागू नडी

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित है हागू नडी

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें) हागू नडी

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) हागू नडी

स्थान : समाहरणालय, पूर्णिया

तारीख: 05/04/14

संजय सिंह
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं० 30

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में 05.04.14 (तारीख) को 01:50 PM (बजे)* अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परित्त किया गया।

तारीख 05.04.14

Handwritten:
5.4.14
सहायक निर्वाह अधिकारी
12-पूर्विका लोक रु. निवाचन

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहित या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ:-

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण).....

*लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए



"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



No 2397/2014

12 पूर्णिया

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोकसभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मे संजय सिंह **पुत्र/पुत्री/पत्नी काशी प्रसाद
आयु 35 वर्ष, जो राजीवगढ़ी दमका पो 0-मोटा कुंडा
झाना-सदर, जिला-पूर्णिया (बिहार), पिन-854326

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं-सत्यनिष्ठा-से-प्रतिज्ञा करता हूं/करती हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-


(1) मैं X (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/ **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम 12 पूर्णिया (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग स 8 के क्रम सं 273 पर प्रविष्ट हूं।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 9006969988 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) X है।

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यारे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :



9518 11524900

क्रम सं.	नाम	वै.	दिलीप जी सिंघाने लिए अतिरिक्त आयकर विवरणों का प्रमाण देना है।	आयकर विवरणों में उपरोक्त फल आय (स्वयं से)
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी	लागू नहीं	शून्य	शून्य
3	आश्रित-1	लागू नहीं	शून्य	शून्य
4	आश्रित-2	लागू नहीं	शून्य	शून्य
5	आश्रित-3	लागू नहीं	शून्य	शून्य

DAMP32572E AY. 2010-11 1,65,500/-

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में या जो या अपवाद को संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त आयकर विवरणों को प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेश विहित किया गया है/विहित नहीं है।

यदि अभिसाधी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की लंबित है/हैं कि जिसके अन्तर्गत अभिसाधी प्रस्तुत करेगा/करेगी -

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/किसमें मैंने अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आदेश विहित किया गया है/विहित नहीं है।

(क)	मामला/प्रकरण सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्या सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/शहर का पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों का नाम प्रकरण) और व्यवस्था (अपराधों) का ब्यौरे विवरण जिसके (जिनके) लिए अर्पित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और खर्च लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसमें (जिनमें) मुझे अपराध (अपराधों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आवेग विहित किया गया है	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा जारी हुई है/हैं	लागू नहीं



(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) को विलुप्त लिये है/हैं किन्तु न्यायालय द्वारा सजान लिया गया है
 (पूर्वोक्त)

मदद (i) में वर्णित मामलों से मिली:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सजान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यारे जहाँ न्यायालय ने सजान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का साक्ष्य विवरण जिसके (जिनके) लिए सजान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विलुप्त पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलें)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यारे	लागू नहीं

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (जिनके अधिनियम अधिनियमों द्वारा सजान किया गया है) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष से अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है

यदि अभिसादी उपरोक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और उल्लिखित विवरण मद (i) में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है



(क)	उन मामलों के ब्यारे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का साक्ष्य विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	लागू नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं
(ग)	अधिरूपित दंड	लागू नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विलुप्त कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ तो अपील के ब्यारे और वर्तमान प्रस्थिति	लागू नहीं

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जमान और ग्यारर आदि) के ध्यान में देता हूँ

अ. जमान आस्तियों के ब्यारे

टिप्पण 1 - समुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करत हुए समुक्त नाम में आस्तियों का मैं विनिधान किया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में जमान सह रकम जमा की सारीक स्वामी बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में भण्डार/शेयर डिपेंडेंसी का मूल्य स्टॉक एक्सचेंज में कल्लु भावना मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियाँ के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का यही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व लघुनिधम 1951 की धारा 254 में अधीन स्पाटीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारे प्रत्येक विनिधान की संवध में पृथक्तरा दिए जाने हैं।

क्रम सं.	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	51,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यारे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें शक्त खातों में भी वित्तीय संस्थाओं, गैर सरकारी वित्तीय कंपनियों सहकारी सोसाइटियों के जमान और ऐसे प्रत्येक खाते में रकम)	SB A/c No. 07120/000-932, ICICI Bank, Purnea ₹. 900/- SB A/c No. 22560/1000-1462 ULO Bank, GIB ₹. 800/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पारस्परिक विधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिपेंडेंसी/शेयर्स तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यारे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, आक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यारे और हाकधर या बीमा कंपनी में किन्ही वितीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी ब्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म कंपनी, व्यापक आदि को लिए गए वैयक्तिक ऋण/अर्धन और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/घाट/पोत (निक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	BR112-5172 (मोटर वाहन) 54,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात मुल्यवान और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यारे)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दवा/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य आ. स्थावर आस्तियों के ब्यारे	1,06,700/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा की उपदर्शित कर्तव्य संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथक्करण वर्णन किया जाना चाहिए।



क्र.	विवरण	स्वर	द्वितीय भती	आदि-1	आदि-2	आदि-
	कृषि भूमि का उपारंथरत (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)					
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास समिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	विनिधान				
(ii)	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितिया) संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास समिर्माण आदि माध्यम से भूमि पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विनिधान				
(iii)	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास समिर्माण आदि माध्यम से संपत्ति पर कोई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विनिधान					
(iv)	अनुमानित घालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति संख्यांक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वअर्जित संपत्ति की दशा में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	



	क्रय की तारीख					
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	विकास, सनिमान आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
(V)	अनुमानित घालू बाजार मूल्य अन्त (जैसे कि संपत्ति में है)	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
(VI)	पूर्वजा (i) से (V) का कुल घालू बाजार मूल्य	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21

(8) मैं, लोक वितीय संस्थाओं और संस्कार के प्रति दायित्व / के राज्य के बाजार मूल्य है।

(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनके प्रकार के राज्य के पृथक विवरण दें)

(i)	बैंक / वितीय संस्था (संस्थाओं के ऋण या शोध बैंक या वितीय संस्था का नाम, प्रकार, रकम ऋण की प्रकृति)	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	पूर्वजा द्वारा से भिन्न किन्हीं अन्य व्यक्ति, निकाय की ऋण या शोध	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	नाम, प्रकार, रकम, ऋण की प्रकृति					
	कोई अन्य दायित्व	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	दायित्वों का कुल योग	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	सरकारी शोध / सरकारी अर्थात् से बरतने वाले विभागों को शासन	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	ल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	व्यक्त आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकॉप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21
	आय-कर शोध	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21	₹ 21



	धनकर शोध	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-
	सेवाकर शोध	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-
	नगरपालिका/संघीय कर शोध	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-
	विद्यार्थक शोध	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-
	कोई अन्य शोध	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-
(iv)	यदि कोई अन्य कोई विवादशील है यदि तब भी अतिरिक्त राशि और उस राशि से निपटारे के लिए लागत है का वर्णन करें।	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-	१००/-

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यारे

- (क) स्वयं
- (ख) पति या पत्नी - गृहिणी

(10) नरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार।

मैट्रिक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना
वर्ष 1992



जन्म/जिल्ला/डिप्टी काउन्सिलर के ब्यारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस का पते का वर्णन करना पड़ेगा।


(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए खंडों का उद्घाटन

1	अन्याधी का नाम	संजय सिंह		
2	दफ्तार का पता	गुनी बाड़ी, दमका पो. - मौडाकंडा खाना - सादर, जिला - पूर्णिया (बि.के.) पिन - 854326		
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	12, पूर्णिया, बिहार		
4	उस गठनबद्ध दल का नाम जिसमें अन्याधी का नाम रखा है (अथवा स्वतंत्र कैंडिडेट)	स्वतंत्र		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्षों या अधिक के कारावास से उद्वेग्य अपराधों से निरुपेक्षता द्वारा आरोप दिये गये हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें गान्धेय विचारधारा से संबंधित अपराधों से निरुपेक्षता द्वारा आरोप दिये गये हैं।	लाशू नशी		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोप उद्वेग्य मृत्यु एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से उद्वेग्य दंडित किया गया है। (एक प्रतिशतिय क्वॉलिफिकेशन 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	लाशू नशी		



(ख) जति या पानी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8 आस्तियाँ और दायित्वों के ब्यौरे (सूच्य में)				
क विवरण	रकम	पति का नाम	आश्रित	जायज
जगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	52,700/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख स्थावर आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

शुद्ध मूल्य का अनुमानित अंश
 2010-11
 1,65,500/-



1.	स्वअंकित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
ii.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति का विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
iii.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
	(क) भूखण्ड (कुल मूल्य)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
	(ख) विरासती आसक्ति (कुल मूल्य)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
4	परिणत	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
(i)	सरकारी शोध (कुल)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
5	(से दाखिल जो विवरण है)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
(i)	सरकारी शोध (कुल)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५	१०.२५
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता	मैट्रिक, वर्ष - 1992				
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग/महाविद्यालय/उच्च शिक्षा के कक्षाओं से शिक्षा प्राप्त की है)	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना				

संख्या

में उपर उल्लिखित अभिसंधी द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता है कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वांगतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सच है और इसमें कोई भी धोखा नहीं है।



(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के अंतर्गत कोई भी मुद्दा या मुद्दों में उल्लिखित शपथपत्र के माध्यम से कोई भी दोषसिद्धि का मामला या तथित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे अश्रितों के पास उपर भाग के अंतर्गत कोई भी मुद्दा या मुद्दों में उल्लिखित शपथपत्र के माध्यम से कोई भी दोषसिद्धि का मामला या तथित मामला नहीं है।

5-4-14

S. K. JHA

Notary Public authorised under notary act 1952 (53 of 1952 and UIR 3 (4) 1956 of the Act and J.S. 139 (C) the Code of civil Procedure, 1908 and 297(C) of Criminal Procedure Code, 1932

Shashi Kant Jha
ADVOCATE
NOTARY OFFICER
Purnea, Bihar (India)

शशि कान्त झा
अभिज्ञा

टिप्पण 2 शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रदाता के सम्म शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 सभी स्तंभों को भरना जरूरी है और कोई भी स्तंभ खाली न छोड़ा जाए। यदि कोई स्तंभ खाली छोड़ा जाए तो शपथपत्र अमान्य माना जाएगा।

टिप्पण 4 शपथपत्र टंकित या सुफादयस्वरूप से साज-सज्जा बिना भेजा जाना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13/09/2013 को WP(C) नं. 12/2013 में दायर किया गया जनसमस्या का निवेदन अर्ज नं. 12/2013 को न्यायाधीश जी. ए. लाल के नेतृत्व में एक न्याय विभाग के आदेश में खारिज किया गया है। न्यायाधीश जी. ए. लाल ने कहा कि शपथपत्र में कोई भी धोखा नहीं है। न्यायाधीश जी. ए. लाल ने कहा कि शपथपत्र में कोई भी धोखा नहीं है। न्यायाधीश जी. ए. लाल ने कहा कि शपथपत्र में कोई भी धोखा नहीं है।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी बिनालिखित रूप में दी जानी चाहिए।
मेरा दूरभाष संख्या / संख्या: 98765
मेरा ई-मेल आईडी: (अगर कोई भी) 12345